प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 14.08.2024

स्वाट टीम ग्रामीण जोन,थाना निवाडी व थाना भोजपुर पुलिस द्वारा स्थान बदल बदलकर लूट/छिनैती जैसी घटना को कारित करने वाले 05 अभियुक्त पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूटी गयी ज्वैलरी, नगद रुपये, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल एवं अवैध अस्लाह व कारतूस बरामद

दिनांक 03.08.24 को थाना निवाडी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि मोटर साइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्ति वादिया के कानों के कुंडल छीन कर भाग गये तथा दिनांक 04.08.24 अन्य वादिया ने तहरीर दी गयी कि आज मोटर साइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्ति वादिया के कानो के कुंडल छीनकर ले गये । प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किये गये तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

दिनाकं 01.08.24 को थाना भोजपुर पर वादी ने सूचना दी कि मोटर साइकिल सवार 03 अज्ञात लडको द्वारा वादी की की मोटरसाइकिल रूकवाकर वादी की पत्नि से 02 कानों के कुन्डल व 10 हजार रूपयो की लूट की है तथा दिनांक 02.08.24 को वादिया ने सूचना दी की द्वारा मोटर साइकिल सवार 03 अज्ञात बदमाशो द्वारा वादिया के साथ लूट का प्रयास करने का प्रयास किया गया। उपरोक्त दोनो सूचनाओ पर थाना भोजपुर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किये गये तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमों का गठन कर प्वाईटो को चिन्हित कर जगह जगह पर चैकिंग की गयी व सर्विलान्स व कैमरो की मदद से घटना पर वर्क आउट किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 13.08.24 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना भोजपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान फजलगढ बम्बा चौराहे के पास एक मोटर साइकिल को रोकने का प्रयास किया किन्तु नही रुका तथा बदमाशो द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करते हुये भागने का प्रयास किया। थाना भोजपुर पुलिस द्वारा बदमाशो से हुई मुठभेड के बाद 03 अभियुक्तगण 1. लक्की पाल पुत्र सुदेश पाल नि0 सैक्टर 5 शताब्दी नगर थाना परतापुर मेरठ उम्र 22 वर्ष (घायल), 2. गोलू यादव पुत्र हरेन्द्र यादव नि0 जंसवन्तनगर मलियाना थाना टीपीनगर मेरठ उम्र 24 वर्ष (घायल), 3. दीपक पुत्र हरेन्द्र यादव नि0 जसवन्त शुगर मिल मलियाना थाना टीपीनगर जनपद मेरठ उम्र 26 वर्ष को घायल/गिरफ्तार हुए । घायल अभियुक्तों को इलाज हेतु जिला अस्पताल गाजियाबाद में भर्ती कराया गया। तथा आज दिनांक 14.08.2024 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा ग्राम पतला बम्बा पटरी पर चेकिंग की जा रही थी तभी सामने से मोटर साइकिल सवार 02 युवक आते दिखायी दिये, जिन्हे चेकिंग / पूछताछ हेतु रोकने का प्रयास किया गया लेकिन नही रुके तथा मोटर साइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई जिसमें दोनो बदमाश घायल हो गए। घायल अभियुकों से इनका नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम नीरज पुत्र सुरेश पाल निवासी सिसौली थाना मंडाली जनपद मेरठ स्थाई निवासी नंगला भावा थाना सरधना मेरठ व दूसरे ने अपना नाम

इन्दर पुत्र बनवारी लाल निवासी मुरलीपुर थाना मुंडाली जनपद मेरठ बताया, कब्जे से घटना से सम्बन्धित शेष बची नगदी 2100/- रुपये, 02 अवैध तमंचा, 02 खोका कारतूस, 01 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम अपने शौक पूरा करने व जल्दी से पैसा कमाने के लिये जगह बदल बदल लूट व छिनैती जैसी घटनाओ को अंजाम देते है। हमने हाल ही में मेरठ के कंकरखेडा, जानी, परतापुर, सरूरपुर व गाजियाबाद के निवाडी व भोजपुर मे जंगलो के रास्ते व सुनसान रास्तों पर महिलाओं व अकेले व्यक्तियों से लूट की घटनाए की है। हम लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौका पाकर महिलाओ से नगदी व सोना आदि लूट लेते थे व फरार हो जाते थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता</u>

1. लक्की पाल पुत्र सुदेश पाल नि0 सैक्टर 5 शताब्दी नगर थाना परतापुर मेरठ उम्र 22 वर्ष (घायल)
2. गोलू यादव पुत्र हरेन्द्र यादव नि0 जंसवन्तनगर मलियाना थाना टीपीनगर मेरठ उम्र 24 वर्ष (घायल),
3. नीरज पुत्र सुरेश पाल निवासी सिसौली थाना मंडाली जनपद मेरठ व स्थाई निवासी नंगला भावा थाना सरधना मेरठ, उम्र 32 वर्ष, (घायल)
4. इन्दर पुत्र बनवारी लाल निवासी मुरलीपुर थाना मुंडाली जनपद मेरठ उम्र 26 वर्ष, (घायल)

5.. दीपक पुत्र हरेन्द्र यादव नि0 जसवन्त शुगर मिल मलियाना थाना टीपीनगर जनपद मेरठ उम्र 26 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण थाना भोजपुर पुलिस द्वारा-</u>

1. लूटे हुए कानो के 02 कुण्डल पीली धातु, 02 बाली पीली धातु,
2. लूट से सम्बन्धित 33000 रु0 नगदी दोनो अभियुक्तगण से,
3. लूटी हुई कान की ईयरबड
4. घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमन्चा, 02 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर (मुठभेड में बरामद)
5. लूट की घटनाओं में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल पल्सर रंग लाल व काला,

<u>बरामदगी विवरण थाना निवाडी पुलिस द्वारा-</u>

1. लूट की घटनाओं से सम्बन्धित 2100 रुपये,
2. दो अवैध तमंचा .315 बोर 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर,
3. घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल,

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

अभियुक्तगण **लक्की, गोलू व दीपक** विरुद्ध जनपद मेरठ में लूट/छिनैती के 06 अभियोग व जनपद गाजियाबाद में लूट के 03 अभियोग व पुलिस मुठभेड का 01 कुल 10 अभियोग पंजीकृत है।

<u>अभियुक्त नीरज उपरोक्त-</u>

जनपद मेरठ/हापुड़ मे लूट की घटनाओ से सम्बन्धित 09 अभियोग व चोरी, मारपीट, आर्म्स एक्ट के करीब 05 अभियोग व ग़ाज़ियाबाद में लूट के करीब 06 अभियोग कुल 20 अभियोग पंजीकृत है,

अभियुक्त इन्दर उपरोक्त-

जनपद मेरठ मे लूट व आर्म्स एक्ट की घटनाओ से सम्बन्धित 03 अभियोग व गाजियाबाद में लूट के 06 अभियोग कुल 09 पंजीकृत है,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*

1. स्वाट टीम ग्रामीण जोन,
2. थाना निवाडी पुलिस टीम,
3. थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद मोबाइल बरामद।

दिनांक 2024.01.24से दिनांक2024.04.25 के मध्य श्री संजय कटियार से कुल 1,37,00,000/- रूपये विभिन्न खातों में क्रिप्टो टेडिंग के नाम पर ट्रांसफर कराकर ठगी की गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री संजय कटियार द्वारा दिनांक 01.05.2024 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। इस मुकदमे का अनावरण कर दिनांक 28.07.2024 को प्रदीप कुमार , सुमित कुमार , आकिफ फरहान खान उर्फ मनन को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस गैंग के सदस्य गुजरात निवासी अमित ककड़िया रंछोड़भाई को आज दिनांक 14.08.2024 को फ्राड में प्रयोग किये गये मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका

अभियुक्त गण द्वारा वादी मुकदमा से फेसबुक से सम्पर्क कर व्हाट्सएप नंबर से चैटिंग करते हुए एक क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिंग वेबसाइट https://www.lsecbuy.com के बारे में बताया तथा क्रिप्टो करेन्सी के द्वारा अत्यधिक मुनाफा कमाने का विश्वास दिलाया, मुकदमा उपरोक्त में अभि0 गण द्वारा संगठित रूप से फर्जी फर्मे बनाकर उसके नाम पर करेन्ट बैंक अकाउन्ट खोलकर, अवैधानिक तरीके से सिम प्राप्त कर उसी सिम से व्हाट्सअप/टेलीग्राम आईडी बनाकर व्हाट्सअप/टेलीग्राम चैट करके वादी मुकदमा के साथ फर्जी क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिंग पोर्टल बनाकर उसे प्रलोभित कर फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग कराकर विभिन्न बैंक खातों में कुल 1 करोड़ 37 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। वेबसाइट पर मुनाफे के रुप में एक राशि लगातार बढते क्रम में दर्शायी जाती थी। बढे हुए मुनाफे को निकालने के लिये और पैसा जमा करवाया जाता था।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त अमित ककड़िया रंछोड़भाई पुत्र श्री रंछोड़भाई निवासी भगवती क्रूपा श्याम पार्क सोसाइटी गली नं0 4 थाना हाजीडेम जिला राजकोट गुजरात 360022 उम्र 33 वर्ष अपने मामा देवराज भाई पंसुरिया के साथ थर्माकोल पैकिंग कारखाना राजकोट में काम करता है, अभियुक्त ने अपने साथी हीरेन रोकड़ उर्फ रामू के साथ मिलकर करेन्ट अकाउन्ट AMIT ENTERPRISE Address 110/A DINDAYALIND EAST MANDA DUNGAR AJIDAM , CHAWKADI RING ROAD,GUJARAT RAJKOT के नाम से खुलवाया और ट्रांजैक्शन के एवज में कमीशन के रुपये प्राप्त किये।

इस गैंग के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के जितेन्द्र विश्वकर्मा थाना क्षेत्र साइबर क्राइम के साथ 1,01,000 रुपये , रिचा वर्मा निवासी थाना क्षेत्र गोमती नगर एक्सटेंशन के साथ 1,75,42,079 रुपये, सौरभ सिंह पटेल निवासी थाना क्षेत्र आलमबाग के साथ 20,44,400 रुपये का साइबर फ्रॉड किया गया है।

इस गैंग के द्वारा फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग साइबर अपराध कर 21 राज्यों में 250 घटनाओं में कुल 5 करोड से अधिक रुपये का साइबर फ्रॉड किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. **अमित ककड़िया रंछोड़भाई पुत्र श्री रंछोड़भाई निवासी भगवती क्रूपा श्याम पार्क सोसाइटी गली नं0 4 थाना हाजीडेम जिला राजकोट गुजरात 360022 उम्र 33 वर्ष पेशा – मजदूरी ।**

बरामदगी का विवरण - 01 अदद मोबाइल फोन ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम मोटर साइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण कर 03 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई 02 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 12.03.2024 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री सुशील चौधरी पुत्र स्व0 श्री ओमकार सिंह नि0 डिफेंस कालोनी गली न0 3 निवाडी रोड मोदीनगर गाजियाबाद ने तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल स्प्लेण्डर चोरी कर ली गयी तथा दिनांक 13.08.2024 को वादी वेदप्रकाश पुत्र श्री इन्द्रराज सिंह निवासी ग्राम- बखरवा थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद ने तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति वादी की मोटर साइकिल स्पलेन्डर चोरी कर ले गये है । प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर थाना मोदीनगर द्वारा तत्काल सुंसगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा माल व मुल्जिमान की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया ।

दिनांक 13.08.2024 की रात्रि मे थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चैकिंग की जा रही थी चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. शबाब पुत्र नबाब निवासी ग्राम जहाँगीरपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, 2- कुनाल पुत्र अशोक कुमार निवासी सुहाना थाना निवाडी जिला गाजियाबाद व 3.मनीष पुत्र नरेश निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की गयी 02 मोटर साइकिल बरामद हुई । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग अपने दैनिक जेब खर्च के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिये वाहन चोरी आदि घटनाएं करते है । जो मोटर साइकिल एकांत में खडी रहती है हम मौका पाकर उन्हे चुरा कर भाग जाते है तथा सस्ते दामों में बेचकर अपने शौक पूरा करते है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. शबाब पुत्र नबाब निवासी ग्राम जहाँगीरपुर थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष,
2. कुनाल पुत्र अशोक कुमार निवासी सुहाना थाना निवाडी जिला गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष,
3. मनीष पुत्र नरेश निवासी ग्राम शाहजहापुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष ,

बरामदगी का विवरण-

चोरी की गयी 02 मोटर साइकिल स्पलेंडर,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दिल्ली के पासा गैंग का सदस्य बताकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर को फोन पर जान से मारने की धमकी देकर 20,00000/- रुपये (बीस लाख) की फिरौत/रंगदारी मांगने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 11.08.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी डॉ0 मौ0 सरताज खाँ पुत्र श्री शराफत शाह निवासी 34 फ्लैट नं0 ए- शालीमार गार्डन एक्स-01 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी को दिल्ली के पासा गैंग का सदस्य बताकर जान से मारने की धमकी देकर 20,00000/- रुपये (बीस लाख) रुपये की फिरौत /रंगदारी मांगने के संबंध में तहरीर दी। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सर्विलेंस व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 14.08.2024 को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1.जावेद अली उर्फ सैफ खान पुत्र अरसद निवासी जी-26 गणेशपुरी शालीमार गार्डन एक्स- 2 थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष, 2. फहीम अंसारी पुत्र जाहिद अंसारी निवासी कंचनदीन मुगमा ईस्ट इडिंया कपसारा धान गृह थाना निरसा झारखंड हाल पता इरसाद का मकान गरिमा गार्डन थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र-23 वर्ष को लोहिया पार्क एक्स-02 शालीमार गार्डन के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्तों से बारी-बारी से पूछताछ करने पर अभियुक्त जावेद अली उर्फ सैफ खान ने बताया कि डॉ0 सरताज खाँ के द्वारा मेरा इलाज किया गया था इलाज के दौरान मैने देखा कि डॉ0 सरताज खाँ का एक क्लीनिक फिजियो थैरेपी व एक मल्टीस्पेशलिस्ट अस्पताल है। जिनसे डाक्टर अच्छी कमाई करता है। मेरे ऊपर बिमारी के कारण लगभग 10–12 लाख रुपये का कर्ज हो गया। अपने कर्ज को उतारने के लिए मैने फहीम के साथ मिलकर डाक्टर सरताज खाँ को जान से मारने की धमकी देकर 20,00000/-रुपये (बीस लाख) रंगदारी मांगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:

1.जावेद अली उर्फ सैफ खान पुत्र अरसद निवासी जी 26 गणेशपुरी शालीमार गार्डन एक्स- 2 थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

2. फहीम अंसारी पुत्र जाहिद अंसारी निवासी कंचनदीन मुगमा ईस्ट इडिंया कपसारा धान गृह थाना निरसा झारखंड हाल पता इरसाद का मकान गरिमा गार्डन थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र-23 वर्ष

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:

गिरफ्तार अभियुक्त फहीम अंसारी निवासी उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली में धोखाधड़ी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>बरामदगी का विवरण:</u>
घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:</u>
थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा, 40 लाख रुपये प्राप्त कर कूट रचित बैंक गारंटी (1 करोड़ रुपये की) तैयार कर के 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर भाग जाने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14-04-24 को वादी श्री सुबोध पोखरियाल पुत्र सत्य पोखरियाल हाल निवासी -एस0सी0सी0 स्फायर फ्लैट नं डी- 607 राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम ज़िला गाज़ियाबाद ने सूचना दी कि अभियुक्त द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी कर सरकारी विभागो में टैन्डर दिलवाने व 01 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी इनकैश दिलाने के नाम पर झांसा देकर 40 लाख रु0 हड़प लेना तथा 3,30,100 रु0 वापस कर देना तथा शेष रु0 वापस न करना व मांगने पर मेरे साथ मारपीट कर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देना उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>कार्यवाही का विवरण-</u> उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त को दिल्ली राज्य से गीता कालोनी से गिरफ्तार किया गया, अभि0 के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>-- गिरफ्तार किये गये अभि0 ने पूछताछ पर बताया कि में लोगो को बैंकों से लोन दिलाने व फर्जी (BANK GURANTEE) बनाने के नाम पर इसी प्रकार से ठगी करता हूँ , सुबोध पोखरियाल , धामदेव कन्ट्रक्शन प्रा0 लि0 के डायरेक्टर हैं ये मुझे वीवीआईपी माल राजनगर एक्सटेंशन में मिले थे तथा बहुत ज्यादा जल्दी में थे इन्हे एक सरकारी टेंडर को पूरा करने के लिये बीजी (बैंक गारण्टी) की आवश्यकता थी तो मैने इनको बीजी(बैंक गारण्टी) देने का भरोसा जताया तथा अपनी बातों में फंसाते हुये कहा कि यदि मुझे मेरी फ़ीस सही दी जाये तो मैं उस बीजी(बैंक गारण्टी) को इनकैश (बीजी के आधार पर बैंक से लोन) भी दिला दूँगा। मैने एक फर्जी कूटरचित बीजी 100 रूपये का स्टाम्प पेपर बनाकर इनको दी गयी तथा सारा कार्य मेरे द्वारा सूर्यपुर प0 बंगाल की स्टेट बैक की शाखा के नाम से किया गया जिससे कि मेरा झूठ पकड़ा न जा सके, तथा जिस पर मैने इनकी कम्पनी धामदेव कन्ट्रक्शन प्रा0लि0 तथा M/S MINIONS VENTURE PRIVATE LIMITED का झूठा एग्रीमेन्ट तैयार कर दिया गया तथा इनको बताया कि देखो मैने आपका कार्य करा दिया हैं यदि आप मुझे डील के अनुसार 15 लाख कैश के रूप मे दो तो मैं आपको

बीजी पर लोन भी करा दूँगा मुझे सुबोध द्वारा कुछ समय बाद इकट्ठा कर 15 लाख रूपये दे दिये गये, ओर धीरे धीरे कर मै फर्जी कागज़ लोन के तैयार कर भेजता रहा, और सुबोध से कुल 40 लाख रुपये ठग लिये।

अभि0 का नाम व पता--

सन्दीप कपूर पुत्र स्व. श्री विजय कपूर निवासी 1st फ्लोर ओल्ड गीता कालोनी थाना गीता कालोनी पूर्वी दिल्ली उम्र 50 वर्ष

आपराधिक इतिहास-- सन्दीप के विरुद्ध 01 अभियोग IT ACT से संबंधित तथा 01 अभियोग **लापरवाही से वाहन चलाने संबंधी दिल्ली पर पंजीकृत है।**

गिरफ्तार करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।